राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या– 565/2017/जयपुर
अपील संख्या– 566/2017/जयपुर
अपील संख्या– 567/2017/जयपुर
अपील संख्या– 568/2017/जयपुर
अपील संख्या– 569/2017/जयपुर
अपील संख्या– 570/2017/जयपुर

वाणिज्यिक कर अधिकारी,
प्रतिकरापवंचन, संभाग द्वितीय जयपुर .....अपीलार्थी.

बनाम्

मै0 श्री श्याम गैसेज,
ई–105, रोड़ नं0–8, वी.के.आई. एरिया, जयपुर .....प्रत्यर्थी

एकलपीठ

श्री नत्थूराम, सदस्य

उपस्थित : :

श्री आर.के.अजमेरा,

उप राजकीय अभिभाषक .....अपीलार्थी की ओर से

अनुपस्थित

.....प्रत्यर्थी की ओर से

निर्णय दिनांक : 24.04.2018

निर्णय

1. अपीलार्थी–राजस्व द्वारा ये छः अपीलें अपीलीय प्राधिकारी–तृतीय, वाणिज्यिक कर जयपुर (जिसे आगे **"अपीलीय अधिकारी"** कहा जायेगा) द्वारा क्रमशः अपील संख्या 55 से 60/अपील्स–तृतीय/आरवीएटी/ई/जयपुर/2016–17 में पारित संयुक्त आदेश दिनांक 18.11.2016 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी हैं, जिसके द्वारा उन्होंने सहायक आयुक्त, प्रतिकरापवंचन, संभाग–द्वितीय, जयपुर (जिसे आगे **"कर निर्धारण अधिकारी"** कहा जायेगा) द्वारा पारित पृथक–पृथक आदेश दिनांक 04.01.2016 जो राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम (जिसे आगे **"अधिनियम"** कहा जायेगा) की धारा 25,55 व 61 द्वारा कायम की गयी कर, ब्याज को यथावत रखते हुए, शास्ति को अपास्त किया एवं प्रत्यर्थी द्वारा प्रस्तुत उपरोक्त अपीलों को आंशिक स्वीकार किया गया। उक्त आदेश के विरूद्ध राजस्व द्वारा शास्ति के बिन्दु पर उपरोक्त अपीलें पेश की गयी है।

2. उपरोक्त छः अपीलों में विवादित बिन्दु एक समान होने एवं एक ही व्यवहारी से संबंधित होने के कारण, इनका निष्पादन एक ही निर्णय से किया जा रहा है। निर्णय की प्रति प्रत्येक पत्रावली पर पृथक–पृथक रखी जावेगी।

3. प्रकरणों के तथ्य संक्षेप मे इस प्रकार है कि कर निर्धारण अधिकारी द्वारा प्रत्यर्थी व्यवहारी के आलौच्य अवधियों का अधिनियम की धारा 25,55,61 के अन्तर्गत दिनांक 16.07.2014 को आदेश पारित किये जाकर अतिरिक्त मांग सृजित की गयी थी। उक्त आदेश से व्यथित होकर प्रत्यर्थी व्यवहारी ने अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपीलें प्रस्तुत की गयी। अपीलीय अधिकारी ने दिनांक 27.01.2015 द्वारा आलौच्य अवधियों का निर्णय पारित करते हुए, प्रकरणों को कर निर्धारण अधिकारी को कार्बन–डाई ऑक्साईड की कर

लगातार.....2

देयता के सम्बन्ध में राज्य सरकार द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 20.01.2015 के प्रकाश में यह जांच करते हुए कि आलौच्य अवधियों में बिक्री किया हुआ माल यदि अधिसूचना दिनांक 22.01.2015 से आच्छादित है तो उसका लाभ दिया जाकर वस्तुओं को विवेचित करते हुए प्रकरणों को प्रतिप्रेषित कर दिये। अपीलीय अधिकारी के उक्त प्रतिप्रेषण आदेश की पालना में कर निर्धारण अधिकारी द्वारा पुनः दिनांक 04.01.2016 को उक्त प्रकरणों में आदेश पारित किये जिनमें कार्बन डाई ऑक्साईड गैस की बिक्री पर दिनांक 01.04.06 से 4 प्रतिशत एवं दिनांक 09.03.10 से 5 प्रतिशत की कर देयता निर्धारित की गई। आलौच्य अवधि में मिक्सचर गैस (N_2H_2) को किसी भी अनुसूची में उल्लेखित नहीं होने के कारण अनुसूची पाँच की प्रविष्टि सं. 1 के अनुसार अवशिष्ट दर से कर योग्य माना तथा 9 प्रतिशत की दर से अन्तर कर आरोपित किया। प्रकरणों में नीचे लिखी सारणी अनुसार कर, ब्याज व शास्ति की मांग को दर्शाया जा रहा है :—

अपील सं0	क.नि.वर्ष	क.नि.आदेश	अन्तर कर	ब्याज	शास्ति	विवादित राशि
565 / 2017	2009—10	04.01.2016	20,880 / —	14,435 / —	41,760 / —	41,760 / —
566 / 2017	2010—11	04.01.2016	20,880 / —	14,435 / —	41,760 / —	41,760 / —
567 / 2017	2011—12	04.01.2016	11,160 / —	3,962 / —	22,320 / —	22,320 / —
568 / 2017	2012—13	04.01.2016	11,430 / —	2,965 / —	22,8760 / —	22,8760 / —
569 / 2017	2013—14	04.01.2016	10,688 / —	1,565 / —	21,376 / —	21,376 / —
570 / 2017	2014—15	04.01.2016	765 / —	46 / —	1,530 / —	1,530 / —

कर निर्धारण अधिकारी के उक्त आदेशों के विरूद्ध, प्रत्यर्थी—व्यवहारी द्वारा अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपीलें प्रस्तुत करने पर, अपीलीय अधिकारी ने कायम की गयी मांग में से कर, ब्याज को यथावत रखते हुए, शास्ति को अपास्त किया एवं प्रत्यर्थी द्वारा प्रस्तुत उपरोक्त अपीलों को आंशिक स्वीकार किया गया। उक्त आदेश के विरूद्ध राजस्व द्वारा शास्ति के बिन्दु पर उपरोक्त छः अपीलें पेश की गयी है।

4. प्रत्यर्थी—व्यवहारी बावजूद नोटिस तामील के अनुपस्थित रहे है, अतः उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाते हुए, राजस्व के विद्वान उप राजकीय अभिभाषक की एकतरफा बहस सुनी गयी।

5. अपीलार्थी—राजस्व की ओर से विद्वान उप—राजकीय अभिभाषक ने अपीलीय अधिकारी के आदेश को विधिसम्मत नहीं बताते हुए, कर निर्धारण अधिकारी के आदेशों का समर्थन कर, अपीलार्थी—राजस्व द्वारा शास्ति के बिन्दु पर प्रस्तुत अपीलों को स्वीकार करने का निवेदन किया किया।

6. हमने पत्रावली का अवलोकन किया व बहस पर मनन किया। न्यायालय निर्णय निम्न प्रकार है :—

7. रेकार्ड के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा समस्त संव्यवहारों का जमा खर्च अपनी लेखा पुस्तकों में हुआ था। कर निर्धारण अधिकारी ने यह मानते हुए अधिनियम की धारा 61 की शास्ति आरोपित की है कि व्यवहारी ने वैज्ञानिक एवं विधिक तथ्यों को स्वयं की सुविधा के पक्ष में पढ़ा है एवं जानबूझ कर कम कर दर से कर चुकाया है जो करापवंचन के उद्देश्य से किया गया है। अपीलीय अधिकारी ने समस्त

लगातार.....3

संव्यवहार लेखा पुस्तकों में होने के कारण शास्ति अपास्त की है। इस संबंध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने न्यायिक निर्णय मै0 श्री कृष्णा इलेक्ट्रीकल्स बनाम तामिलनाडु राज्य (2009) 23 वीएसटी 249 में निम्न प्रकार अवधारित किया है :—

".....So far as the question of penalty is concerned the items which were not included in the turnover were found incorporated in the appeallants account books. where certain items which are not included in the turnover are disclosed in the dealers own account books and the assessing authorities includes these items in the dealers turnover disallowing the exemption penalty cannot be imposed. the penalty levied stand set aside."

इसी प्रकार माननीय राजस्थान कर बोर्ड द्वारा पारित न्यायिक दृष्टान्त मै0 हयूलेट पैकर्ड इण्डिया सेल्स प्रा0लि0 जयपुर बनाम वाणिज्यिक कर अधिकारी जयपुर (2009) 25 टेक्स अपडेट 189 में भी यह अभिनिर्धारित किया गया है कि गलत एन्ट्री के अन्तर्गत कम दर से कर अदा किये जाने के कृत्य को करापवंचन मानते हुए कर निर्धारण अधिकारी ने अधिनियम की धारा 61 के अन्तर्गत आरोपित शास्ति न्यायोचित नहीं है। अतः उपरोक्त न्यायिक दृष्टान्त इन प्रकरणों में पूर्णतया आच्छादित होने से राजस्व द्वारा शास्ति के बिन्दु पर प्रस्तुत अपीलें अस्वीकार होने योग्य है।

8. फलतः अपीलार्थी—राजस्व द्वारा प्रस्तुत उपरोक्त छः अपीलें अस्वीकार की जाती है एवं अपीलीय अधिकारी द्वारा पारित संयुक्त आदेश दिनांक 18.11.2016 की पुष्टि की जाती है।

निर्णय सुनाया गया।

(नत्थूराम)
सदस्य